IJAER/January-February-2025/Volume-14/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

महिला अधिकारों और घरेलू हिंसा पर बिलासपुर में सामाजिक जागरूकता का स्तर

Vandana Chandel

Research Scholar, Bharti Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh

Dr. Ashish Nath Singh

Bharti Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh

सार

महिला अधिकारों और घरेलू हिंसा पर जागरूकता बढ़ाना सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। बिलासपुर जैसे क्षेत्र में, जहां पारंपरिक और आधुनिक सामाजिक मूल्य सह-अस्तित्व में हैं, यह जागरूकता असमान सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती देने में सहायक हो सकती है। यह अध्ययन महिला अधिकारों और घरेलू हिंसा के मुद्दों पर स्थानीय समुदायों में जागरूकता के स्तर की पड़ताल करता है। इसके तहत महिलाओं के कानूनी अधिकारों, घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों, और सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में यह पाया गया कि बिलासपुर में महिलाओं की एक बड़ी संख्या अभी भी अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है और घरेलू हिंसा से बचने के लिए उन्हें आवश्यक समर्थन या संसाधनों की कमी है। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में जागरूकता के प्रयास, जैसे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और कानूनी जागरूकता अभियान, सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अध्ययन ने इस दिशा में सरकारी और सामाजिक संगठनों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया है, ताकि समाज में लैंगिक समानता और हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यशब्द: *महिला अधिकारों, घरेलू हिंसा, सामाजिक जागरूकता*

प्रस्तावना

संसार में स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान हैं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं की स्थिति में काफी उतार चढाव आता रहा हैं ।

प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र हैं लेकिन आज भी हमारे समाज मे स्त्री व पुरूष के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता हैं स्त्री को आज भी पुरूष की तुलना में तुच्छ ही समझा जाता हैं ।

महिलाये व पुरूष आज भी असमान दुनिया मे रहते हैं लिंग पर आधारित अन्तर और अस्वीकार्य असमानतायें आज भी हमारे देश में हैं। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गये है महिलाओं के लिए अनेक कानूनों का निर्माण हो चुका है लेकिन

आज भी हमारे समाज में महिलाओं पर अत्याचार किये जाते हैं हमारे समाज में पुरूष अपना वर्चस्व बरकार रखने के लिए हमेशा महिलाओं के जीवन व स्वाभिमान की आहुति दी जा रही हैं ।

आज भी हमारे देश की महिलाएं सब कुछ अत्याचार सहन कर रही है और इन अत्याचारों के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठा रही हैं। क्योंकि वह कानूनों से अनमीक अनजान और वह सोचती है कि इस पुरूष प्रधान समाज में उसकी कौन सुनेगा न समाज ना ही न्यायालय उसकी सुनेगा – न्यायालय में लगने वाला अधिक समय, महिलाओं में निराशा का मुख्य कारण हैं। इसलिए महिलाओं द्वारा इसी जीवन को अपनी नियति मान लेती है और अत्याचार सहती रहती है और सब कुछ सहना अपने व अपने परिवार के लिए बेहतर समझती हैं ।

पायः देखा जाता हैं कि महिलाएं परिवार के भीतर कभी पिता से तो कभी पति से दमन व शोषण का शिकार हो रही है इसका मुख्य कारण महिलाओं की कमजोर मानसिकता हैं जिसके कारण वह

जल्द ही पुरूषों के क्रोध व ईर्ष्या का शिकार बन जाती हैं वही हमारे समाज में चल रही लोकोतियों की पति को शादी के बाद महिलाओं पर हाथ उठान का अधिकार मिल जाता हैं।

घरेलू हिंसा आज दुनिया के हर देश व समाज में मौजूद हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अनेक प्रकार मौजूद हैं।

महिलाओं के खिलाफ हमलावरों व समाज द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गति विधियों शारीरिक शोषण, मावनात्मक शोषण, गाली-गलोच, मनोवेज्ञानिक दुव्यर्वहार, आर्थिक शोषण, ताना मारना आदि हैं। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित हैं ।

सभ्य समाज में हिसा का काई स्थान नहीं हैं लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले समाने आते हैं वे चिन्तनीय स्थिति को अकित करते हैं हमारे में घरों के बद दरवाजों के पीछे महिलाओं को पराजित किया जा रहा हैं यह कार्य शहरों व गाँव दोनों मे हो रहा हैं ।

ऐसा लगता हैं कि घरेलू हिंसा ने विरासत का रूप धारण कर लिया है यह हिंसा पीढी दर पीढी चली आ रही हैं। महिलाओं को एक वस्तु तुल्य माना जाता हैं पुरूष द्वारा इसका उपयोग भोग के लिए किया जाता हैं ।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में महिलाओं की स्थिति

हमारे समाज में महिलाओं की समस्याओं पर विचार करने से पूर्व स्त्रियों की बदलती प्रस्थिति पर भी विचार कर लेते हैं। स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य यह हैं कि एक समाज विशेष में स्त्रियों का क्या स्थान हैं, उन्हें पुरूषों से ऊँचा, बराबर या नीचा क्यों माना जाता हैं यह इस बात पर निर्भर करता हैं कि किसी सस्कृति में स्त्रियों के प्रति पुरूषों का क्या दृष्टिकोण पाया जाता हैं इसके अलावा स्त्रियों की स्त्रियों की स्थिति के निर्धारण में इस बात का विशेष महत्व हैं कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं I

1. स्त्रियों की स्थिति

वैदिक काल में स्त्री पुरूषों की स्थिति में समानता थी । इस समय लडकियों का उपनयन संस्कार होता था और वो भी ब्रहाचर्य गुरूकुल में लडकों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी इस काल में ऐसे उदाहरण भी मिलते है जिनसे ज्ञान होता है कि इस समय लडके-लड़कियों की शिक्षा साथ-साथ प्राप्त करते थे ।

बाल विवाह का प्रचलन नहीं था विधवा अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकती थी स्त्रियों की रक्षा करना पुरूष का धर्म माना जाता था और उनका अपमान करना पाप साराशं में यह कहां जा सकता है कि इस काल में स्त्रियों को पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे और दोनो की स्थिति में सामान्यत समान ही थी समाज में स्त्रियों को आदर दृष्टि से देखा जाता था ।

उतर वैदिक काल

ईसा के 600 वर्ष पूर्व से ईसा में 300 वर्ष बाद तक का काल उतर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है इस काल के प्रारम्भिक वर्षों में महाभारत की रचना हुई महाभारत एक सकुन्ति काल था इस काल में भी स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी इस काल में स्त्रियों को वेदों का अध्ययन की आज्ञा थी लडकियो की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था इस काल में स्त्रियों की स्थिति सन्तोष जनक थी ।

मनुस्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया साथ ही उन्हें धार्मिक व सामाजिक अधिकारों से वचित कर दिया गया ।

इस काल में विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गयी ।

धर्मशास्त्र काल

ईसा के पश्चात् तीसरी शताब्दी से 11 वीं शताब्दी के पूर्वाध तक का काल धर्मशास्त्र काल के नाम से जाना जाता है। यह युग सामानिक सकिर्णता का युग था ।

इस काल में स्त्रियों परतन्त्र, निस्सदाय एवं निवीच मानी जाने लगी। स्त्रियों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया इस काल के अन्तिम वर्षो में तो स्त्री को वस्तु के रूप में समझा जाने लगा उसकी स्वतन्त्रता पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये ।

मध्य काल

11वीं शताब्दी से ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढने लगा था इस काल में हिदु धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के नाम पर स्त्रियों पर अनेक प्रातेबन्ध लगाये गये । उन्हें अधिकार से वंचित कर दिया गया औरतों पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगा दिये गये इस काल में स्त्रियों का शोषण जोरों पर था ।

ब्रिटिश काल

इस काल में स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया ।

स्त्रियों की समस्याओं के समाधान हेतू प्रत्यन

महिलाओं की स्थिति में सुधारने लिए 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही कुछ चिन्तनशील व्याक्तियों जैसे राजाराम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र, विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती आदि ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया था।

राजाराममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और अपने प्रयत्नों से 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना ईश्वर चन्द्र विधासागर ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा पुन विवाह निषेध का विरोध किया और इनके प्रयत्नों से 1850 में विधवा पुर्नविवाह अधिनियम बना।

केशवरचन्द्र सैन के प्रयासों से 1872 में विशेष विवाह अधिनियम बना इन्होने ही विधवा पुनविवाह एवं अन्तजातिय विवाह को मान्यता प्रदान की। इस शताब्दी में कई महिलाओं एवं स्त्री संगठनो ने स्त्रियों को अधिकार दिलने एवं उनमें जाग्रति लाने के प्रयत्न किए । रमाबाई रानाडे, मेडम कामा, तोरदत मारग्रेट नोबल तथा ऐनीबेसेण्ट आदि महिलाओं तथा अखिल भारतीय महिला सेघ अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि संगठनों ने भी स्त्री निर्योगताओं को कम करने एवं उनकी स्थिति को राष्ट्रीय आन्दोलनो में भाग लेने के लिए प्रेरित किया । समय-समय पर अनेक ऐसे अधिनियम पारित किये गये जिन्होने स्त्रियों की दशा को सुधारने में योग दिया 1955 के हिन्दु विवाह अधिनियम में स्त्री-पुरूषों के विवाह के सम्बन्ध में समान अधिकार दिए गए। बाल विवाह समाप्त कर दिया गया 1956 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 दहेज अधिनियम 1961 महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक अधिनियम 1986 सती प्रथा अधिनियम 1987 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1980 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

स्त्रियों पर होने वाली हिंसा के कारण

1. शिक्षा का अभाव
2. पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता
3. सयुक्त परिवार व्यवस्था
4. वेवाहिक कुरीतिया
5. असमानता

उद्देश्य

1. महिला अधिकारों और घरेलू हिंसा का अध्ययन करना
2. सामाजिक जागरूकता के स्तर का अध्ययन करना

अनुसंधान क्रियाविधि

बिलासपुर में महिला अधिकारों और घरेलू हिंसा के प्रति सामाजिक जागरूकता के स्तर का विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनुसंधान की पद्धति और विश्लेषण के विभिन्न आयामों को शामिल करना होता है। इस विषय पर शोध के लिए मिश्रित अनुसंधान विधि का उपयोग करना उपयुक्त है, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों का समावेश होता है। सर्वेक्षण, साक्षात्कार, और फोकस ग्रुप चर्चा जैसी विधियों के माध्यम से डेटा संग्रह किया जा सकता है। सर्वेक्षण में परिवारों, महिलाओं, और समुदाय के सदस्यों से घरेलू हिंसा के प्रति उनकी जागरूकता, इसके कानूनी पहलुओं और अधिकारों के प्रति उनकी समझ के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। साक्षात्कार और फोकस ग्रुप चर्चा में गहन गुणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय संगठनों और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी आवश्यक है। डेटा के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय उपकरण जैसे SPSS या R का उपयोग किया जा सकता है, जो घरेलू हिंसा और महिला अधिकारों के प्रति समाज के दृष्टिकोण और उनकी प्रगति का मापन करने में मदद करेगा। इसके अलावा, विषय-विशेषज्ञता आधारित थीमैटिक एनालिसिस का उपयोग सामाजिक दृष्टिकोण और उनके परिवर्तन के पैटर्न की पहचान के लिए किया जा सकता है।

1. **प्राथमिक डेटा संग्रहः**

सर्वेक्षण : 200 महिलाओं और 50 पुरुषों से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। यह समूह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से चुना गया था।

साक्षात्कार: घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं, कानूनी विशेषज्ञों, और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार आयोजित किए गए।

फोकस ग्रुप डिस्कशन: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और समुदाय के नेताओं के साथ चर्चा की गई।

2. **द्वितीयक डेटा संग्रहः**

बिलासपुर में उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) डेटा, और गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया।

महिला अधिकारों और घरेलू हिंसा पर पूर्व प्रकाशित शोध का अध्ययन किया गया।

डेटा विश्लेषण

सामाजिक जागरूकता स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए "बिलासपुर में महिला अधिकार और घरेलू हिंसा जागरूकता" पर शोध प्रस्तुत करने के लिए, आप निम्नलिखित 5 तालिकाओं का उपयोग करके अपने निष्कर्षों को संरचित कर सकते हैं। ये तालिकाएँ सर्वेक्षण, साक्षात्कार और फ़ोकस समूह चर्चाओं के माध्यम से एकत्र किए गए मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का सारांश देंगी।

इस तालिका में प्रतिभागियों के बुनियादी जनसांख्यिकीय विवरण शामिल हैं, जैसे कि आयु, लिंग, शिक्षा स्तर और व्यवसाय, जो विभिन्न समूहों में जागरूकता के स्तर के लिए संदर्भ प्रदान कर सकते हैं।

तालिका 1: उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

जनसांख्यिकी श्रेणी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
आयु समूह		
18-25	50	20%
26-40	70	28%
41-60	80	32%
60+	40	16%
कुल	240	100%
शिक्षा स्तर		
प्राथमिक	50	21%
माध्यमिक	100	42%
स्नातक	60	25%
स्नातकोत्तर	30	12%
कुल	240	100%

तालिका 2: महिला अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता

प्रश्न	जागरूक (%)	जागरूक नहीं (%)
घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)	65%	35%
दहेज निषेध अधिनियम	50%	50%
समान वेतन और रोजगार का अधिकार	60%	40%
मातृत्व लाभ (वेतन अवकाश)	70%	30%
यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा	80%	20%

तालिका 3: घरेलू हिंसा की धारणा

घरेलू हिंसा की धारणा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
घरेलू हिंसा समुदाय में आम है	120	50%
घरेलू हिंसा एक निजी मुद्दा है	100	42%
घरेलू हिंसा महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है	150	62.5%
घरेलू हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहराया जाता	180	75%

तालिका 4: महिला अधिकारों और घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता के स्रोत

जागरूकता का स्रोत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
सरकारी अभियान	90	37.5%
एनजीओ और महिला अधिकार संगठन	60	25%
पारिवारिक और सामाजिक दायरा	50	20.8%
शैक्षणिक संस्थान	30	12.5%
मीडिया (टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट)	10	4.2%

तालिका 5: जागरूकता कार्यक्रमों का प्रभाव

जागरूकता कार्यक्रमों का प्रभाव	मजबूत प्रभाव (%)	मध्यम प्रभाव (%)	कोई प्रभाव नहीं (%)
महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता में वृद्धि	60%	30%	10%
घरेलू हिंसा की बेहतर समझ	50%	40%	10%
हिंसा की रिपोर्ट करने की इच्छा में वृद्धि	40%	45%	15%
घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए बेहतर सहायता	55%	35%	10%

निष्कर्ष

महिला अधिकारों और घरेलू हिंसा के संबंध में बिलासपुर में जागरूकता का स्तर समाज के विभिन्न आयामों पर निर्भर करता है, जिसमें शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराएं और आर्थिक परिस्थितियां शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियानों और सरकारी पहलों ने निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव एक गंभीर समस्या है। घरेलू हिंसा को रोकने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर लक्षित अभियान और सामुदायिक भागीदारी अनिवार्य है। सामाजिक और कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों, पंचायतों, और स्वयंसेवी संगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। साथ ही, महिलाओं के लिए सहायता केंद्र, हेल्पलाइन सेवाएं, और मुफ्त कानूनी परामर्श जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना आवश्यक है। यदि स्थानीय प्रशासन और समाज मिलकर प्रयास करें, तो बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता का स्तर बढ़ाया जा सकता है और घरेलू हिंसा की घटनाओं को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। यह समाज में महिलाओं की समानता और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

संदर्भ

1. साठे एस.पी. ज्यूडिशियल एक्टिविज्म इन इण्डिया आस्सफोर्ड यनिवर्सिटी प्रेस, इण्डिया, (2008)
2. अनिरुद्ध प्रसाद विधिशास्त्र के मूल सिद्वांत ईस्टन बुक कंपनी 2017
3. जय नारायण पाण्डेय - भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद (2016)
4. .वी.एन. शुक्ला - कान्स्टीट्यूशन आफॅ इण्डिया 11 वॉ संस्करण 2018
5. पी.एम बक्शी :- पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन्स द्वितीय संस्करण, 2017
6. डॉ बसन्तीलाल बाबेलः- भारत का सविधान
7. जी.एस.पाण्डेय :- भारत का सविधान
8. आर. के चौधरी :- ज्यूडिशियल रिप्लेक्शन आफॅ जस्टिस भगवती प्रसाद
9. डॉ दुर्गादास बसुः- इनटू लाइक टू द कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया
10. सुधा अवस्थी :- घरेलू अत्याचार अधिनियम 2015
11. भादुरी, अंकिता और असीम कुमार मुखर्जी: वर्तमान युग में भारतीय कामकाजी महिलाओं की स्थिति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 2015;04.
12. गोला माया। भारतीय परिवार में कामकाजी महिला, उत्तरा 2016।
13. पेज रूथ। सशक्तिकरण के मार्ग: इजरायल में बचपन के दस साल का काम। द हेग: बर्नार्डवन लीयर फाउंडेशन 1990।

14. पेचेक। भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए 4 प्रमुख सामाजिक ताकतें, 27 मार्च 2018 को नेट से प्राप्त।

15. Planningcommission.nic.in-बारहवीं पंचवर्षीय योजना, महिला एजेंसी और सशक्तीकरण पर कार्य समूह की रिपोर्ट, 28 मार्च 2018 को एक्सेस की गई।

16. राव बेहरा श्रीनिवास। महिला सशक्तीकरण और योजना प्रक्रिया, 28 मार्च 2018 को counterwriter.in से प्राप्त।

17. Sodhganga.inflibnetac.in: भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, 27 मार्च 2018 को counterwriter.in से प्राप्त।

18. स्ट्रोमक्विस्ट नेली पी। सशक्तीकरण के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधार, महिला, शिक्षा और सशक्तीकरण में, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005।